चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

Ch. Charan Singh University, Meerut

पत्रांक : पी0ए0/2388
दिनांक : 06.01.2020

सेवा में,

प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशक
समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थान
चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ।

विषयः– नैक मूल्यांकन के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

कृपया अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ के पत्रांक 361–A/रा0उ0शि0प0/59/19 दिनांक 26.12.2019 के द्वारा प्रदेश की उच्च शिक्षा संस्थाओं के **"नैक मूल्यांकन एवं उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार"** विषय पर उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं उ0प्र0 राज्य शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वाधान में दिनांक 07.11.2019 को योजना भवन लखनऊ में मा0 उप–मुख्य मंत्री डा0 दिनेश शर्मा जी की अध्यक्षता एवं मा0 राज्य मंत्री श्रीमती नीलिमा कटियार, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 द्वारा एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मा0 उप–मुख्य मंत्री जी द्वारा निर्देशित किया गया कि समस्त राजकीय/अशासकीय/स्ववित्त पोषित महाविद्यालय/संस्थान अपने समस्त प्रपत्र ऑन–लाईन नैक संस्था को प्रेषित करें, जो माहविद्यालय/संस्थान नैक संस्था से मूल्यांकन नही करायेगें, उन्हें किसी नये विषय/पाठ्यक्रम की अनुमति न दी जाय।

शासन के उपरोक्त आदेशों के आलोक में चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय, मेरठ के समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय/संस्थानों के प्राचार्य/प्राचार्या/सचिव/निदेशकों को निर्देशित किया जाता है कि जिन महाविद्यालयों को पॉच वर्ष हो चुके हैं, वे अपने–अपने महाविद्यालय/संस्थानों का प्रत्येक दशा में नैक मूल्यांकन अवश्य करा लें अन्यथा की स्थिति में बिना नैक मूल्यांकन महाविद्यालय/संस्थानों को विश्वविद्यालय द्वारा किसी भी नये विषय/पाठ्यक्रम की अनुमति नहीं दी जायेगी, तथा ऐसे महाविद्यालय/संस्थान की सूचना शासन को प्रेषित की जायेगी।

अतः आप शासन द्वारा दिये गये आदेशों का कडाई से पालन करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

06-01-2020

कुलसचिव

प्रतिलिपिः–

01. सचिव, कुलपति को मा0 कुलपति जी के सूचनार्थ प्रेषित।
02. अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि विश्वविद्यालय को उनके द्वारा दिये गये निर्देशों का पालन किया जा रहा हैं।
03. क्षेत्रीय, उच्च शिक्षा अधिकारी, मेरठ।
04. विश्वविद्याल प्रेस प्रवक्ता।
05. प्रभारी, वेबसाइट

कुलसचिव

दिनांक 07–11–2019 को "नैक मूल्यांकन एवं उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार" विषय पर आयोजित कार्यशाला का कार्यवृत्त।

प्रदेश की उच्च शिक्षण संस्थाओं के **"नैक मूल्यांकन एवं उच्च शिक्षा में गुणवत्ता सुधार"** विषय पर उच्च शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन एवं उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद के संयुक्त तत्वावधान में दिनांक 07–11–2019 को योजना भवन, लखनऊ कक्ष संख्या–111 में एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। उक्त कार्यशाला की अध्यक्षता माननीय उपमुख्यमंत्री जी (डॉ0 दिनेश शर्मा) द्वारा की गयी, माननीय राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा विभाग, श्रीमती नीलिमा कटियार की गरिमामयी उपस्थिति सुनिश्चित हुयी। कार्यशाला में निम्नलिखित अधिकारीगण उपस्थित थे :–

1. श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश एवं अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन/ सदस्य सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद।
2. श्री आर0 रमेश कुमार, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
3. श्री अब्दुल समद, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
4. श्री राम बहादुर सिंह, विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. डॉ0 (श्रीमती) के0रमा, सीनियर एडवाइजर, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद, (NAAC) बेंगलुरू।
6. डॉ0 वन्दना शर्मा, निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0।
7. डॉ0 आर0के0 चतुर्वेदी, अपर सचिव, उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद।

उक्त के अतिरिक्त समस्त राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण, कुल सचिव, नैक/आई0क्यू0ए0सी0 कोआर्डिनेटर्स, समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0, जनपद लखनऊ स्थित राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्य, वर्ष 2019–20 में नैक मूल्यांकन हेतु तैयारी कर रहे महाविद्यालयों के प्राचार्यगण उपस्थित थे। कार्यशाला का प्रारम्भ माननीय उप मुख्यमंत्री जी द्वारा दीप प्रज्ज्वलन के साथ किया गया। तदुपरान्त उपस्थित प्रतिभागीगण का परिचय हुआ।

बैठक में **माननीय उपमुख्यमंत्री जी (डॉ0 दिनेश शर्मा)** द्वारा निर्देश दिये गये कि :–

(1) राज्य के जिन विश्वविद्यालयों को नैक मूल्यांकन कराये हुए 05 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं अथवा व्यतीत होने वाले हैं, वह मूल्यांकन प्रक्रिया शीघ्र प्रारम्भ करें।

(2) नैक मूल्यांकन प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु पूरी तैयारी कर चुके राज्य विश्वविद्यालय तथा राजकीय/अशासकीय/स्ववित्तपोषित महाविद्यालय अपने समस्त प्रपत्र ऑनलाइन नैक संस्था को प्रेषित करें और इसका अनुश्रवण प्रतिमाह, निदेशक, उच्च शिक्षा/कुल सचिव/क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों द्वारा तत्परता से किया जाय और अनुश्रवण आख्या शासन/उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। जो महाविद्यालय नैक संस्था से मूल्यांकन नहीं कराएंगे, उन्हें किसी नये विषय/पाठ्यक्रम की अनुमति न दी जाय। इस सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के परीक्षा नियन्त्रक एवं कुल सचिवों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाय।

(3) परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण एवं नकलविहीन परीक्षा के प्रति सजग रहकर पारदर्शिता सुनिश्चित की जाय, इसके लिये क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को उत्तरदायी बनाया जाय।

(4) छात्राओं के लिए यथासम्भव निकट के केन्द्रों पर परीक्षा की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

(5) सभी उच्च शिक्षण संस्थाएं (विश्वविद्यालय/राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/निजी) नैक मूल्यांकन में **"ए" ग्रेड** प्राप्त करने की दिशा में पूर्ण मनोयोग से प्रयास करें।

(6) राज्य विश्वविद्यालय नये पाठ्यक्रम (Course) प्रारम्भ करने के लिये अपनी संस्था का नैक से मूल्यांकन कराना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही–निदेशक, उच्च शिक्षा/कुल सचिव समस्त राज्य विश्वविद्यालय/ समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी)

मुख्य सचिव,(श्री राजेन्द्र कुमार तिवारी) द्वारा अवगत कराया गया कि :–

उच्च शिक्षण संस्थाओं के नैक संस्था से मूल्यांकन के बराबर प्रयास किये जा रहे हैं। 19 राज्य विश्वविद्यालयों में से 08 विश्वविद्यालय ही नैक से मूल्यांकित हैं, जिनमें से ए–ग्रेड प्राप्त करने वाला केवल एक ही विश्वविद्यालय है, जो चिन्ता का विषय है, जबकि निजी विश्वविद्यालय हमसे आगे हैं और उनकी संख्या–27 के सापेक्ष नैक मूल्यांकित विश्वविद्यालय–08 हैं। इनमें से 03 ए–ग्रेड में एवं 05 बी–ग्रेड में मूल्यांकित हैं। सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं स्ववित्तपोषित महाविद्यालयों द्वारा भी नैक मूल्यांकन के सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। प्रदेश की समस्त शैक्षिणक संस्थाओं को समयबद्ध रूप से रोडमैप तैयार करके प्रतिवर्ष मूल्यांकन कार्य कराने के प्रति प्रयासरत रहने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही–उच्च शिक्षा अनुभाग–3)

कुलपति, डा0 भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (श्री अरविन्द कुमार दीक्षित) द्वारा विचार व्यक्त किया गया कि शिक्षण संस्थाओं को मूल्यांकन हेतु नैक फोबिया से बाहर आकर एकेडमिक लीडरशिप के आधार पर लांगटर्म प्लानिंग करनी चाहिए। नैक मूल्यांकन के लिए निम्नलिखित 07 बिन्दु के मापदण्ड सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है :–

1. Curricular Aspects.
2. Teaching Learning and Evaluation.
3. Research Consultancy and Extension.
4. Infrastructure and Learning Resources.
5. Student Support and Progression.
6. Governance and Leadership.
7. Innovative Practices.

विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में आई0क्यू0ए0सी0 मेम्बरों में आपसी तालमेल की आवश्यकता है। विभागवार कार्य का बँटवारा करके नैक मूल्यांकन प्रक्रिया की प्रगति की मासिक समीक्षा भी की जाय और विश्वविद्यालय स्तर पर 07 सदस्यीय टीम का गठन करके नैक मूल्यांकन प्रक्रिया पूर्ण करने के कार्य में तेजी लायी जाय। विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण नैक मूल्यांकन प्रक्रिया के सम्बन्ध में समय–समय पर कार्यशाला का आयोजन कर नैक मूल्यांकन प्रक्रिया में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण करें।

(कार्यवाही–समस्त कुलपतिगण राज्य विश्वविद्यालय)

<u>कार्यशाला में यह भी निष्कर्ष आया कि</u> :–

(1). प्रदेश में नैक मूल्यांकन प्रक्रिया को Qualitative और Quantitative आधार पर प्रारम्भ करना चाहिए। विश्वविद्यालयों द्वारा अपने से सम्बद्ध महाविद्यालयों को भी नैक मूल्यांकन हेतु प्रेरित करने के लिए कार्यशालाओं आदि का आयोजन करना चाहिए। नैक मूल्यांकन के लिए राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद संस्था द्वारा समय–समय पर जारी किये गये दिशा–निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया

प्रारम्भ करना चाहिए और इस बात को भय रहित माहौल में कराने का प्रयास करना चाहिए। इस प्रक्रिया को पूर्ण करने के लिए समय–समय पर राज्य सरकार से भी दिशा–निर्देश प्राप्त किये जायं।

(कार्यवाही–निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0/कुल सचिव/ नैक कोआर्डिनेटर्स, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0)

(2). नैक (NAAC) संस्था की एडवाइजर डॉ0 (श्रीमती) के0 रमा द्वारा अवगत कराया गया कि नैक मूल्यांकन के सम्बन्ध में एक नया प्रारूप जारी किया गया है और उसके साथ प्रश्नावली भी जारी की गयी है, जिसके आधार पर नैक मूल्यांकन प्रक्रिया प्रारम्भ करने में सहायता मिलेगी। इस प्रारूप को नैक की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। नैक मूल्यांकन प्रक्रिया को अंग्रेजी भाषा के साथ–साथ हिन्दी में भी प्रचारित किया गया है। उच्च शिक्षण संस्थाओं के लिये It is necessary to intelligently understand the process regarding quality enhancement in higher education must be insure and not to fear about to processing. It is very much necessary for the institution to generate their financial resources themselves. NAAC is for you, because of you and only for you.

New NAAC Accreditation Frame work-2017 has been decided in very easy way, student supports services must be institutionalised and Quality of Curriculum value added course etc. To enhance the quality is very important component for Naac accreditation, quality presumption role and quality improvement in Higher Education. NAAC seen the accountability of the responsible persons doing NAAC processing validation processing data validation process.

In view of the same certain difficulties has been revised in accreditation process but it needs to update the institution

regarding value added process full filling online SSR. Naac can discuss any time regarding the problem in NAAC accreditation of the higher educational institutions.

(कार्यवाही–समस्त प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय/सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय/समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश/ समस्त नैक/आई0क्यू0ए0सी0 कोआर्डिनेटर्स राज्य विश्वविद्यालय)

(3). चर्चा के दौरान इस बिन्दु पर सहमति बनी कि सभी उच्च शिक्षण संस्थाओं को नैक मूल्यांकन द्वारा प्राप्त ग्रेड को उच्चीकरण करने पर ध्यान दिया जाना चाहिए। प्रदेश में विश्वविद्यालयों के पास आधारभूत सुविधाओं की कमी नहीं है, फिर भी नैक मूल्यांकन प्रक्रिया में 11 राज्य विश्वविद्यालयों द्वारा विशेष अभिरूचि नहीं दिखायी गयी, जो कि चिन्ताजनक है और यह आवश्यक है कि सभी विश्वविद्यालयों को नैक मूल्यांकन के महत्व को देखते हुए अनिवार्य रूप से मूल्यांकन के प्रति जागरूक होना चाहिए। सभी राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतियों से यह अपेक्षा की गयी कि जिन विश्वविद्यालयों को नैक मूल्यांकन कराये हुए 05 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं अथवा व्यतीत होने वाले हैं, उन्हें अभी से मूल्यांकन प्रक्रिया प्रारम्भ कर देनी चाहिए। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपतिगण से अपेक्षा की गयी कि जिन विश्वविद्यालयों को नये पाठ्यक्रम (Course) प्रारम्भ करने की आवश्यकता है, उन्हें भी अपनी संस्था का नैक से मूल्यांकन कराना सुनिश्चित करें। राज्य विश्वविद्यालयों के कुलपति, कुल सचिव एवं क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारियों को उनके क्षेत्रान्तर्गत आने वाले महाविद्यालयों के लिए

शीघ्रातिशीघ्र नैक मूल्यांकन प्रक्रिया प्रारम्भ करने हेतु निदेशित किया जाय।

(कार्यवाही–समस्त कुलपतिगण, राज्य विश्वविद्यालय/निदेशक, उच्च शिक्षा/कुल सचिव एवं नैक कोआर्डिनेटर्स समस्त राज्य विश्वविद्यालय/समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारीगण, उ0प्र0/उच्च शिक्षा अनुभाग–3 उ0प्र0 शासन)

बैठक सधन्यवाद समाप्त हुयी।

डॉ0 आर0के0 चतुर्वेदी
अपर सचिव,
उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद।

पत्रांक :361-A/रा0उ0शि0प0/59/19/26.12.19 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, मा0 उपमुख्यमंत्री जी (डॉ दिनेश शर्मा) को माननीय उपमुख्यमंत्री जी के अवगतार्थ।
2. निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री जी, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 (श्रीमती नीलिमा कटियार) को मा0 राज्य मंत्री जी के अवगतार्थ।
3. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव/सदस्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को सदस्य सचिव महोदय के अवगतार्थ प्रेषित।
4. निजी सचिव, सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन को सचिव महोदय के अवगतार्थ प्रेषित।
5. समस्त विशेष सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. कुलपति, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
7. निदेशक, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
8. कुल सचिव, समस्त राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
9. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।

डॉ0(आर0के0 चतुर्वेदी)
अपर सचिव
उ0प्र0 राज्य उच्च शिक्षा परिषद।